क्रम-संख्या–199 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 दिसम्बर, 2023
अग्रहायण 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग–9

संख्या 1959/एक-9–2023-1(एस0)-2017
लखनऊ, 1 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–45

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(दो) (क) इकतालीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(ख) नौ प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजस्व निरीक्षकों में से, जिनके मूल मौलिक पद रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ भू–लेख लिपिक थे और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ भू–लेख लिपिक के रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि उपर्युक्त उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपबंध ऐसे समय तक जारी रहेंगे जब तक कि रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/ भू–लेख लिपिकों की उपलब्धता पूर्णतः समाप्त न रह जाय और तत्पश्चात् नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु पचास प्रतिशत कोटा को मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।	

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1959/One-9–2023-1(S)-2017, dated December 1, 2023 :

No. 1959/One-9–2023-1(S)-2017

Dated Lucknow, December 1, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service Rules, 2023.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (NIAB-TEHSILDARS) SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

796 RPH 2023 (Rajaswa Anubhg-9) Data 1e

Amendment of rule 5

2. In The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Niab-Tehsildars) Service Rules, 2003, in rule 5, *for* existing sub-rule (ii) set out in Coloumn-1 below, the sub-rule as set out in Coloumn-2 shall be *substituted*, namely :–

COLOUMN-1	COLOUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(ii) (a) forty one per cent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two years service as such on the first day of the year of the recruitment.	(ii) fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two years service as such on the first day of the year of the recruitment.
(b) Nine per cent by promotion through the commission from amongest such substantively appointed Rajaswa Nirikshaks whose original substantive posts were Registrar Kanungo/Assistant Registrar Kanungo/Land record clerk and who have completed two years service as Registrar Kanungo/Assistent Rregistrar Kanungo/Land record clerk/ Rajaswa Nirikshaks on the first day of the year of recruitment :	
Provided that the provisions referred to in sub-clause (a) and (b) above shall continue till such time the availability of Registrar Kanungo/assistant Registrar Kanungo/Land record clerk is fully exhausted and, thereafter, the fifty percent quota for promotion to the post of Naib-Tehsildar shall be filled by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Rajaswa Nirikshaks who have completed two year service as such on the first day of the year of recruitment.	

By order,
SUDHIR GARG,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 796 राजपत्र–2023–(2274)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 राजस्व–2023–(2275)–600 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।